

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33/जोन-उदयपुर/एफ.09/2024/403

दिनांक 07/02/24

आदेश

श्री प्रभुलाल नायक, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर जिनकी मृत्यु दिनांक 04.11.2023 को हो जाने पर दिनांक 04.11.2023 से इनका नाम राज्य सेवा से विलोपित किया जाता है। श्री प्रभुलाल नायक के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/जोन-उदयपुर/एफ.09/2024/403

दिनांक 07/02/24

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर।
4. डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
5. स्वं श्री प्रभुलाल नायक वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के आश्रित को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड वास्तें।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5485021

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director

Date : 06-02-2024 04:27:18